अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–28.11.2025 (शुक्रवार) एवं 29.11.2025 (शनिवार) को 10:00 बजे पूर्वाह्न से दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, पटना में आयोजित भूमि सुधार उप–समाहर्त्ताओं का दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण–सह–समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:–

अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में दिनांक–28.11.2025 (शुक्रवार) एवं 29.11.2025 (शनिवार) को राज्यस्तरीय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ताओं का प्रशिक्षण–सह–समीक्षात्मक बैठक दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, पटना में आयोजित की गयी।

सर्वप्रथम सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित सभी विभागीय पदाधिकारियों एवं भूमि सुधार उप–समाहर्त्ताओं का स्वागत किया गया।

1 इस बैठक में अपर मुख्य सचिव एवं विभाग के विभिन्न वरीय पदाधिकारियों द्वारा राजस्व संबंधी विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई एवं महत्वपूर्ण निदेश दिये गये।

2. इस बैठक में कुल 101 भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं में से 82 उपस्थित हुए। बैठक में बक्सर सदर, दरभंगा सदर, अरेराज, मोतिहारी, पकड़ीदयाल, रक्सौल, नीमचक बथानी, गोगरी, जय नगर, हिलसा, रजौली, मसौढ़ी, बनमखी, धमदाहा, दलसिंहसराय, बेलसंड, सीतामढ़ी सदर, बीरपुर, एवं नरकटियागंज के भूमि सुधार उप समाहर्त्ता अनुपस्थित थें। अनुपस्थित पदाधिकारियों से कारणपृच्छा करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः–प्रशाखा–3)

3. नई सरकार के गठन एवं राजस्व महाअभियान के बाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं की यह राज्यस्तरीय प्रथम समीक्षात्मक बैठक–सह–प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इस बैठक में कई नव पदस्थापित भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं द्वारा भाग लिया जा रहा है। इस समीक्षात्मक बैठक में मुख्यतः तीन बिन्दुओं पर चर्चा की गई।

(क) इसमें भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं के दायित्वों एवं कार्यकलापों के प्रगति पर विशेष चर्चा की गई। साथ ही निदेश दिया गया कि अपने अधीनस्थ यथाः–अंचल कार्यालयों, राजस्व कर्मचारी के हल्का कार्यालय का समय–समय पर निरीक्षण/औचक निरीक्षण का कार्य किया जाय एवं अंचलाधिकारी के साथ माह में दो बार समीक्षात्मक बैठक किया जाय।

(ख) राजस्व महाअभियान में 45 लाख अभ्यावेदनों के निष्पादन पर चर्चा की गई। इन प्राप्त आवेदनों पर शिविर लगाकर जल्द से जल्द निपटान किये जाने की संभावना पर भी विचार किया गया।

(ग) कोर्ट से पारित आदेशों के क्रियान्वयन में आ रही दिक्कतों के संबंध में विशेष चर्चा की गई।

विभाग से निर्गत महत्त्वपूर्ण अधिनियम, नियमावली, आदेश परिपत्र एवं पत्रो में अंकित विषयों पर विस्तार से बताया गया एवं सभी भूमि सुधार उप–समाहर्त्ताओं को निदेश दिया गया की विभाग से निर्गत सभी परिपत्रों का अवलोकन करते रहे एवं पत्र में अंकित निदेश के आलोक में मामलों का निपटारा किया जाय।

अभियान बसेरा सरकार की एक महत्त्वपूर्ण योजना है, इस सम्बंध में अंचलों में सर्वेक्षित लाभुकों को भूमि का आवंटन अंचलाधिकारी के द्वारा कराने हेतु सभी को निदेशित किया गया साथ ही महादलित टोलों में स्वयं जाकर जॉच करने का निदेश दिया गया।

अपर मुख्य सचिव के द्वारा भूमि सुधार उप-समाहर्त्ताओं को निदेश दिया गया कि सप्ताह में चार दिन न्यायिक कार्य अवश्य करें। प्रथम अपीलीय न्यायालय के रूप में न्यायालय में जो म्यूटेशन अपीलवाद, बी0 एल0 डी0 आर0 वाद एवं लगान निर्धारण वाद आ रहे हैं, उसका ससमय निष्पादन किया जाय। साथ ही आई0टी0 मैंनेजर को निदेश दिया गया कि आर0सी0एम0एस0 का रिव्यू कर बतायेंगें की भूमि सुधार उप-समाहर्त्ताओं के द्वारा कितने दिन न्यायालय कार्य किये जा रहे हैं एवं कितने वादों का निष्पादन किया गया।

(अनुपालनः-आई0टी0 कोषांग)

इस दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभागीय पदाधिकारी द्वारा राजस्व संबंधी विषयों पर चर्चा की गई। कार्य के निष्पादन में आ रही बाधाओं को दूर करने आदि के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया।

आर0सी0एम0एस0 सॉफ्टवेयर से संबंधित विषय पर आई0टी0 मैंनेजर द्वारा, कोर्ट मैनेजमेंट के संबंध में श्रीमती मोना झा, उप निदेशक, सर्वेक्षण कार्यालय गुलजारबाग, पटना द्वारा एवं म्यूटेशन एक्ट रूल, बी0एल0डी0आर0 एक्ट, सैरात बन्दोबस्ती एवं बिहार चौर दियारा से संबंधित विषयों पर श्री विनोद झा द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

अंत में धन्यवाद के साथ बैठक एवं प्रशिक्षण की कार्यवाही समाप्त किया गया।

31/12/25

(जय सिंह)
सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–10/समo (मंत्रिoसचिoविo)–77/2024– 78 (10)/राo, पटना–15, दिनांक–15/01/26

E-mail

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी समाहर्त्ता, बिहार/सभी अपर समाहर्त्ता, बिहार/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/01/26

(अरूण कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

ज्ञापांक–10/समo (मंत्रिoसचिoविo)–77/2024– 78 (10)/राo, पटना–15, दिनांक–15/01/26

प्रतिलिपि–निदेशक, तीनों निदेशालय/विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/01/26

(अरूण कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

ज्ञापांक–10/समo (मंत्रिoसचिoविo)–77/2024– 78 (10)/राo, पटना–15, दिनांक–15/01/26

प्रतिलिपि–माननीय उप मुख्यमंत्री–सह मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सभी सचिव के आप्त सचिव/कोषांग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/01/26

(अरूण कुमार सिंह)
विशेष सचिव।